न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खगड़िया।

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–51/2014

राज्य.....

बनाम

उपेन्द्र वर्मा वगैरह.....

आदेश

25.03.15

यह वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के पत्रांक 1171 दिनांक 17.12.2014 द्वारा प्रेषित जमाबंदी रद्द वाद सं0 11/14–15 बनाम उपेन्द्र वर्मा पे0 पन्नालाल वर्मा एवं अन्य 14 व्यक्ति साकिन–हरदाशचक खगड़िया जो अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा संधारित किया गया है के आधार पर प्रारम्भ किया गया है।

विपक्षीगण को विधिवत् सूचना निर्गत कर उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अंचल अधिकारी, खगड़िया का उपर्युक्त जमाबंदी रद्द वाद सं0–11/14–15 का गहण अध्ययन किया गया। अंचल अधिकारी, खगड़िया ने अपने अभिलेख में उल्लेख किया है कि निम्न ब्यौरे की भूमि श्यामलाल ट्रस्ट बोर्ड की है जिसकी जमाबंदी सं0 31 चल रही है।

34

मौजा–	थाना	खाता–	खेसरा–	रकवा (वि0–क0–धू0)
हरदाशचक	270–	136–	50–	4.78
		110–	20–	3.53 ए0
		132–	21–	1.07 ए0
			145–	1.59 ए0
				10.97 ए0

उक्त ब्यौरे की भूमि अधिशेष भूमि वाद सं0 48/2000–01 के द्वारा 15 व्यक्तियों के साथ बन्दोवस्त कर पर्चा निर्गत कर दिया गया था। उन्होनें आगे प्रतिवेदित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में उक्त निर्गत सभी पर्चा को रद्द कर दिया गया है। अपने अभिलेख में पर्चाधारियों के नाम बन्दोवस्ती की गई जमीन का रकवा एवं उससे संबंधित कायम जमाबंदी संख्या का भी उल्लेख किया है।

30/03/15 Time-11:50am

अंचल अधिकारी, खगड़िया ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पर्चाधारियों के नाम, कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया के माध्यम से भेजा है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया का अभिलेख में संलग्न दिनांक

17.12.14 का प्रतिवेदन देखा। उन्होनें विवादी जमीन का स्वयं भी निरीक्षण किया है और उस पर पर्चाधारी द्वारा फसल लगा पाया है।

उन्हानें उक्त भूमि पर बटाईदारी वाद भी विभिन्न आवेदक बनाम ट्रस्टी के बीच चला है का जिक्र करते हुए अंचल अधिकारी द्वारा फैसले की प्रति संलग्न करने की बात का भी उल्लेख किया है तथा अन्त में बिना कोई मंतव्य एवं अनुशंसा किये मात्र अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में भेज दिया है।

अभिलेख में संलग्न माननीय उच्च न्यायालय का सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–4712/1988 श्यामलाल राष्ट्रीय विद्यालय ट्रस्ट बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 28.10.1991 को पारित आदेश की छायाप्रति का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय ने भूहदबंदी अधिनियम की धारा 32 (B) के तहत इस ट्रस्ट से संबंधित भू–हदबंदी वाद सं0 117/81-82 में नये सिरे से जाँच/सुनवाई हेतु आदेश पारित करते हुए 23.07.1987 को निर्गत अधिसूचना जिसका गजट प्रकाशन अधिनियम की धारा 15 (1) के अन्तर्गत 01.12.1987 को किया गया और जिसमें भूधारी ट्रस्ट की 107.70 एकड़ भूमि अधिशेष घोषित एवं अर्जित की गई थी को निरस्त कर दिया है।

तत्कालिन अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया ने उभयपक्ष की उपस्थिति में दिनांक–26.07.1992 को भू–धारी का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–4712/1988 में पारित आदेश के आलोक में निर्गत पर्चा रद्ध करने का अनुरोध को स्वीकार करते हुए संबंधित अधिशेष भूमि पर निर्गत पर्चा को रद्ध कर दिया है। उक्त आदेश की छायाप्रति (अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया का पारित) अभिलेख मे संलग्न है।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित 15(1) का गजट अधिसूचना रद्ध कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप पर्चाधारी को निर्गत पर्चा भी रद्ध कर दिया गया है तो पर्चा के आधार पर संबंधित पर्चाधारियों के नाम अब तक कायम जमाबंदी भी अवैध है क्योंकि पर्चाधारी का प्रश्नगत भूमि से उक्त माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में स्वत्व समाप्त हो गया है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अंचल अधिकारी, खगड़िया द्वारा अभिलेख में उल्लेखित 15 व्यक्तियों के नाम चल रही जमाबंदी स्वत्व के ~~अभाव~~ अभाव में अवैध है अतः ये सारे 15 संबंधित जमाबंदी रद्ध किया जाता है।

आदेश की एक प्रति अविलम्व अंचल अधिकारी, खगड़िया को अनुपालन हेतु भेजें।

इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

25/3/15

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।

25/3/15

अपर समाहर्त्ता,
खगड़िया।